



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072021-228465
CG-DL-E-26072021-228465

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410]
No. 410]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 26, 2021/श्रावण 4, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JULY 26, 2021/SHRAVANA 4, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2021

सं. 38/2021-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 508(अ).—वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट तत्संबंधी प्रविष्टि की सीमा तक संशोधन करती है, यथा:-

तालिका

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या तथा तारीख □	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड	उक्त अधिसूचना में, सारणी में - (i) क्रम संख्या 21घ के समक्ष, कॉलम (4) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "शून्य" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या तथा तारीख □	संशोधन
(1)	(2)	(3)
	(i) में प्रकाशित किया गया था। □	(ii) क्रम संख्या 21च के समक्ष, कॉलम (4) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “10%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा; □
2.	11/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 69 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में – क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (4) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “10%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा; □

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी 190354/126/2021- टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट:-

1. प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 21/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2021 जिसे सा.का.नि. 235(अ), दिनांक 31 मार्च, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
2. प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, को सा.का.नि. 69(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 26/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 8 अप्रैल, 2021, जिसे सा.का.नि. 253 (अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2021

No. 38/2021-Customs

G.S.R. 508(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby amends the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table below, to the extent specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table, namely: -

TABLE

S. No.	Notification No. and Date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	50/2017- Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017	In the said notification, in the Table- (i) against S. No. 21D, in column (4), for the entry, the entry “Nil” shall be substituted;

S. No.	Notification No. and Date	Amendments
(1)	(2)	(3)
		(ii) against S. No. 21F, in column (4), for the entry, the entry “10%” shall be substituted;
2.	11/2021-Customs, dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 69(E), dated the 1st February, 2021	In the said notification, in the Table-against S. No. 5, in column (4), for the entry, the entry “10%” shall be substituted;

2. This notification shall come into effect on 27th July, 2021.

[F. No CBIC-190354/126/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note: -

1. The principal notification No.50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and last amended vide notification No. 21/2021-Customs, dated the 31st day of March, 2021, published vide number G.S.R.235 (E), dated the 31st day of March, 2021.
2. The principal notification No. 11/2021-Customs, dated the 1st February, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 69(E), dated the 1st February, 2021 and last amended, vide notification No. 26/2021-Customs, dated the 8th April, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 253(E), dated the 8th April, 2021